



## कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh, ph-07762-220741 E-mail: gmccraigarh.2013@gmail.com

क्रमांक/चिकि./क्रय/2020-21/12390

रायगढ़ दिनांक 06.11.2020

// निविदा सूचना //

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ विभिन्न विभागों के लिए **Chemical, Kits, Reagent & Glassware Items** क्रय किये जाने के संबंध में दर अनुबंध (Rate Contract) करने हेतु ई-टेंडर के माध्यम से इच्छुक फर्म/प्रदायकर्ता/डिलर/निर्माता कंपनी से खुली निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा प्रपत्र शुल्क - ₹. 2000/- (₹. दो हजार मात्र)		
अमानत राशि (EMD) निम्नानुसार देय होगा		
के नाम से	प्रस्तुत EMD का प्रकार	अमानत राशि (EMD) ₹. में
Dean, Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Medical College, Raigarh (C.G.)	Banker's Cheque/Demand Draft	<b>Chemical, Kit, &amp; Reagent</b> के लिए ₹. 1,00,000/-
		<b>Glassware</b> के लिए ₹. 50,000/-
यदि इच्छुक फर्म/प्रदायकर्ता/डिलर/निर्माता कंपनी द्वारा सभी प्रकार के सामग्रियों के लिए निविदा जमा करना चाहता है, तो उन्हें ₹. 1,50,000/- का अमानत राशि (EMD) जमा करना होगा।		
निविदा प्रारंभ तिथि	दिनांक 10.11.2020 समय 10:00 AM से	
वेबसाइट <a href="https://eproc.cgstate.gov.in/">https://eproc.cgstate.gov.in/</a> के माध्यम से ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 24.11.2020 समय 11:59 PM के पूर्व	
दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 26.11.2020 समय 02:00 PM के पूर्व	
Prequalification/Technical bid खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.11.2020 समय 03:00 PM	
Financial/Price Bid खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.11.2020 समय 04:00 PM	

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय के वेबसाइट [www.gmccraigarh.edu.in](http://www.gmccraigarh.edu.in) में अवलोकन कर सकते हैं। निविदा शुल्क की राशि 2,000/- वापसी योग्य नहीं है।

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति,  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/चिकि./क्रय/2020-21/12391-93  
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 06.11.2020

- (1) ..... सदस्य क्रय समिति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचानार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ की ओर निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु राशि 2000/- (₹. दो हजार मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के लिए अशासकीय मद का रसीद काटकर आवेदनकर्ता को प्रदाय करने हेतु सूचानार्थ एवं पालनार्थ।
- (3) सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ की ओर निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट [www.gmccraigarh.edu.in](http://www.gmccraigarh.edu.in) एवं [www.eproc.cgstate.gov.in](http://www.eproc.cgstate.gov.in) में अपलोड करने हेतु सूचानार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

## निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

निविदा की प्रक्रिया तीन चरणों में संपादित किया जावेगा। प्रथम चरण प्रीक्वालिफिकेशन, द्वितीय चरण तकनीकी बीड तथा तृतीय प्राईज बीड (ONLINE BID)। निविदा प्रपत्र पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना होगा, और दोना लिफाफा एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी.एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

## निविदा की गणना

निविदा की गणना 03 चरणों में होगा।

1. **चरण 01**—प्रथम चरण प्रीक्वालिफिकेशन बीड का होगा जिसमें फर्मों द्वारा अर्हता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा। जिसमें योग्य पाये जाने पर ही द्वितीय चरण के लिये पात्र माना जावेगा।
2. **चरण 02**—द्वितीय चरण में तकनीकी दस्तावेज, प्रस्तुत सामग्री का निर्माता कम्पनी से अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होगा।
3. **चरण 03**—तृतीय चरण प्राईस बीड का होगा, जो (ONLINE BID) खोला जावेगा। प्रीक्वालिफिकेशन बीड एवं तकनीकी बीड में योग्य पाये गये निविदादाता फर्मों का ही प्राईस बीड खोला जाएगा एवं अवलोकन किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा ऑन-लाईन में उल्लेखित दर को मान्य करते हुये प्राईज बीड खोला जावेगा एवं प्राप्त न्यूनतम दर पर ही क्रय आदेश जारी किया जावेगा, जिसके विरुद्ध सामग्री की आपूर्ति हेतु फर्म बाध्य रहेगा (स्पेशिफिकेशन एवं पेक साईज के अनुसार ही दर उल्लेखित करें, जो दर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा वही मान्य होगा। प्रायः देखा गया कि लीटर के दर के स्थान पर एम.एल./कि.ग्रा. के स्थान पर ग्राम एवं पेक के स्थान पर प्रति नग का दर लेख कर न्यूनतम दर पाने की प्रयास किया जाता है, जिससे वास्तविक दर प्राप्त नहीं होता, इसका विशेष ध्यान रखें)।





## नियम एवं शर्तें

1. निविदा छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाइट [www.eproc.cgstate.gov.in](http://www.eproc.cgstate.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है तथा ऑनलाईन में प्रस्तुत दस्तावेजों की एक प्रति (ऑफलाईन) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी.एण्ड. टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. **केमिकल्स, किट्स, रिएजेंट एवं ग्लासवेयर के लिए** निविदा प्रस्तुत करने हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि रु. **1,50,000/-** (रु. एक लाख पच्चास हजार मात्र) अमानत राशि के रूप में **डी.डी./एफ.डी.आर. अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)** के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा एवं इसकी प्रति ऑनलाईन में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
3. सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि, दर अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जावेगा एवं असफल निविदाकर्ता की अमानत राशि, निविदा दर की अंतिम तुलनात्मक सूची तैयार होने पश्चात् वापस किया जावेगा।
4. निविदाकर्ता/फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र (दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं स्थापना) स्वहस्ताक्षरित कर एवं संस्थान का सील मोहर के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
5. फर्म/प्रोपराईटर का पैन (PAN) कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
6. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं वर्ष 2018-19 रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
7. विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओव्हर का प्रमाण पत्र जो 01 करोड़ से अधिक का हो एवं सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण-पत्र, Annexure-III में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता फर्म को वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सिर्फ ग्लासवेयर सामग्रियों को छोड़कर सभी सामग्रियों के लिए वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तुलनात्मक प्रपत्र में दर को शामिल नहीं किया जावेगा।
9. दर अनुबंध हेतु 100/- के स्टाम्प पर निविदा शर्तों के अनुसार अनुबंध संपादित कर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (कार्यालयीन प्रारूप अनुसार)
10. निविदा दर, दर अनुबंध दिनांक से 12 महीने तक के लिए वैध रहेगा। तथा आवश्यकतानुसार क्रय समिति के निर्णय उपरांत अवधि 06 महीने तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।
11. दर अनुबंध की अवधि में किसी भी परिस्थिति में अनुमोदित दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

3

12. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में अविरल रूप से सामग्रियों की आपूर्ति बनाये रखने के लिए (यदि दर समान हो तो) क्रय आदेशों को एक से अधिक प्रदायकर्ताओं में विभाजित किया जा सकेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
13. प्राईस बीड में उल्लेखित दर में महाविद्यालय तक पहुंचाने एवं सभी करों के साथ सामग्री का दर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। पृथक से परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. दर का निर्धारण निविदाकर्ता द्वारा अपलोड किये गये दरों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत किया जावेगा। न्यूनतम दर के निर्धारण में अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. निविदा खोलने के बाद निविदाकर्ता को लिपिकीय त्रुटि या टायपिंग त्रुटि के लिए सुधारने का अवसर नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
16. विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न एवं जी.एस.टी. रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
17. सामग्री आपूर्ति में हुए किसी भी प्रकार की क्षति का वहन निविदादाता स्वयं करेगा।
18. केमिकल्स, किट्स, रिएजेंट एवं ग्लासवेयर सामग्री मांग तथा आवश्यकतानुसार एवं शासन से समय-समय पर प्राप्त निर्देशानुसार क्रय किया जावेगा।
19. निविदाकर्ता को क्रय आदेश के विरुद्ध प्रत्येक आपूर्ति के साथ गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र (QA/QC Certificate) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. सामग्री क्रय का भुगतान शासकीय नियमानुसार सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही किया जावेगा। सामग्री आपूर्ति निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य होगा।
21. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री नवीनतम, नये ब्राण्ड के होने चाहिए।
22. क्रय आदेश के अनुरूप सामग्री प्रदाय नहीं किये जाने की स्थिति में प्रदायित केमिकल्स, किट्स रिएजेंट एवं ग्लासवेयर को स्वीकार नहीं करने एवं जारी क्रय आदेश निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास सुरक्षित एवं सर्वमान्य रहेगा।
23. आवश्यकता पड़ने पर प्राईज बिड खोलने के पूर्व केमिकल्स, किट्स, रिएजेंट एवं ग्लासवेयर के नमूना का मांग किया जा सकता है एवं नमूना का प्रायोगिक परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा। प्रायोगिक परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्राईज बिड नहीं खोला जावेगा।
24. सामग्रियों की क्रय मात्रा में आवश्यकतानुसार वृद्धि एवं कमी किया जा सकता है।

4

25. क्रय आदेश जारी होने के तिथि से निर्धारित 30 दिवस के भीतर सामग्री आपूर्ति किया जाना होगा अन्यथा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.13 अनुसार 2% प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी सहित समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी।
26. दर निर्धारण होने के पश्चात् न्यूनतम दर पर फर्म को क्रय आदेश जारी करने पर सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने पर जमा अमानत राशि जब्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी एवं न्यूनतम (L2) दर प्रस्तुत कर्ता फर्म को क्रय आदेश जारी किया जावेगा।
27. निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का दर प्रस्तुत करने हेतु निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
28. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर खूदरा बाजार भाव तथा किसी शासकीय संस्था को प्रदाय किये गये दर से या शासन के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
29. सामग्रियों की मानक गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु अन्यत्र भेजे जाने का व्यय प्रदायकर्ता को वहन करना होगा। गुणवत्ता परीक्षण में असफल होने की स्थिति में नये बेंच की सामग्री 30 दिवस के भीतर बदलकर प्रदाय करना होगा। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उस फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। जिस संबंध में किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
30. समस्त प्रदाय की जाने वाली केमिकल्स, किट्स, रिएजेण्ट एवं ग्लासवेयर सामग्री में Mfg. Date, Exp. Date स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है। सामग्री की अवसान तिथि 02 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।
31. निविदा में संलग्न सूची अनुसार समस्त केमिकल्स, किट्स, रिएजेण्ट एवं ग्लासवेयर सामग्रियों का क्रय आदेश जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता बाध्य नहीं है। इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
32. निविदाकर्ता को पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन, अन्य राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया हो के संबंध में 10/- के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
33. शासकीय संस्था में न्यूनतम 02 वर्षों से आपूर्ति किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही क्रय आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य।
34. शासकीय संस्था में विगत दो वर्षों का कार्य निष्पादन (Performance Certificate) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5

35. अनुबंध अवधि में यदि शासकीय आदेश/निर्माता ईकाई के द्वारा, निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की दरें कम होती हैं तो कम दर पर सामग्री आपूर्ति करने के लिए निविदाकर्ता वैधानिक रूप से बाध्य होगा।
36. अमानत राशि के छूट हेतु – प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर क्रय समिति के अवलोकन उपरांत उन्हें छूट प्राप्त होगी। (छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम 2002– 4.7 अनुसार)।
37. कार्यालय प्रमुख बिना कारण बताये निविदा के किसी भाग या निविदा को निरस्त करने का अधिकार रखता है।
38. प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति में निविदाकर्ता द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं फर्म का सील मोहर होना अनिवार्य है।

### निविदा प्रक्रिया

प्रीक्वालिफिकेशन बीड लिफाफा (लिफाफा-01) में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा –

1. छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्योरमेंट साइट में निविदा प्रस्तुत करते समय भुगतान किये गये निविदा शुल्क जो कि NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान की रसीद की छायाप्रति दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. केमिकल्स, किट्स, रिएजेण्ट एवं ग्लासवेयर का दर प्रस्तुत करने हेतु राशि रु. 1,50,000/- (रु. एक लाख पच्चास हजार मात्र) अमानत राशि के रूप में डी.डी./एफ.डी.आर., अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, के नाम पर एवं जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अथवा अमानत राशि के छूट हेतु – प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन्हें छूट प्राप्त होगी। सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर क्रय समिति के अवलोकन उपरांत (छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम 2002– 4.7 अनुसार)
3. फर्म पंजीयन का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं स्थापना) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
4. फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
5. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्ष का या उपरांत की रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।



6. निविदाकर्ता फर्म को वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सिर्फ ग्लासवेयर सामग्रियों को छोड़कर सभी सामग्रियों के लिए वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तुलनात्मक प्रपत्र में दर को शामिल नहीं किया जावेगा।
7. शासकीय संस्था में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही क्रय आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य।
8. विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओव्हर का प्रमाण पत्र जो 01 करोड़ से अधिक का हो एवं सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण-पत्र Annexure-III में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो का राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत सामग्री के दर से किसी अन्य शासकीय संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में उसी सामग्री को कम दर पर सप्लाई नहीं किया गया हो का राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
11. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रु. 10 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

**तकनीकी बीड लिफाफा (लिफाफा-02) में दर प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक शर्तें**

**निम्न है :-**

निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का तकनीकी बीड में Annexure-II के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. निविदादाता फर्म को तकनीकी बीड में पात्र पाये जाने उपरांत ही प्राइज बीड के लिए योग्य माना जावेगा।
2. आवश्यकता पड़ने पर प्राइज बिड खोलने के पूर्व केमिकल्स, किट्स, रिएजेंट एवं ग्लासेयर के नमूना का मांग किया जा सकता है एवं नमूना का प्रायोगिक परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा। प्रायोगिक परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्राइज बिड नहीं खोला जावेगा।
3. योग्य निविदादाता फर्म का ही प्राइस बीड खोला जावेगा।
4. निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का दर प्रस्तुत करने हेतु निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का दर प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक सामग्री का नाम, सरल क्रमांक साथ में कैटलॉग एवं तकनीकी सूची निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।











6. निविदा में प्रस्तुत किये गये सामग्रियों के दर के साथ कम्पनी का नाम एवं जीवित अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का गुणवत्ता प्रमाण पत्र (ISI/FDA/UL/BS/ISO/IP/BP/CE/US) प्रस्तुत करना निवार्य है।

S.No.	Item Name	Specification	Make	Manufacture Authorisation Certificate	Oter Technical Document/ Certificate (ISI/FDA/UL/BS/ISO/IP/BP/CE/US)	Page No.	Remark
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>

अधिष्ठाता

Jan  
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

Jan  
Jan  
Jan


## प्रीक्वालिफिकेशन चेक लिस्ट -

फर्म का नाम : .....

.....

S.No.	Prequalification Term & Conditions	Yes/ No
01	छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्योरमेंट साइट में निविदा प्रस्तुत करते समय भुगतान किये गये निविदा शुल्क जो कि NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान की रसीद की छायाप्रति दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
02	केमिकल्स, किट्स, रिएजेण्ट एवं ग्लासवेयर का दर प्रस्तुत करने हेतु रू. 1,50,000 (रू. एक लाख पच्चास हजार मात्र) अमानत राशि के रूप में डी.डी./एफ.डी., अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, के नाम पर एवं जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अथवा अमानत राशि के छूट हेतु - प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन्हे छूट प्राप्त होगी। (छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम 2002- 4.7 अनुसार)।	
03	फर्म पंजीयन प्रमाण पत्र (गुमास्ता) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
04	फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की छायाप्रति तथा विगत 03 वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
05	फर्म का जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं विगत 03 वर्षों की रिटर्न फाईल की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
06	निविदाकर्ता फर्म को वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सिर्फ ग्लासवेयर सामग्रियों को छोड़कर सभी सामग्रियों के लिए वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तुलनात्मक प्रपत्र में दर को शामिल नहीं किया जावेगा।	
07	शासकीय संस्था में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही क्रय आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य।	
08	विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओव्हर का प्रमाण पत्र जो 01 करोड़ से अधिक का हो एवं सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण-पत्र Annexure-III में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
09	फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो का राशि रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
10	निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत सामग्री के दर से किसी अन्य संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में उसी सामग्री को कम दर पर सप्लाई नहीं किया गया हो का राशि रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
11	फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रू. 10 के स्टाम्प पर शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
12	निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	

क्रय समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर :

## तकनीकी क्वालिफिकेशन चेक लिस्ट -

फर्म का नाम : .....

.....

S.No.	Technical Qualification Term & Conditions							Yes/ No
01	निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का दर प्रस्तुत करने हेतु निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।							
02	निविदा में प्रस्तुत किये गये सामग्रियों के दर के साथ कम्पनी का नाम एवं जीवित अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का गुणवत्ता प्रमाण पत्र (ISI/FDA/UL/BS/ISO/IP/BP/CE/US) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।							
S.No.	Item Name	Specification	Make	Manufacture Authorisation Certificate	Oter Technical Document/ Certificate (ISI/FDA/UL/BS/ISO/IP/BP/CE/US)	Page No.	Remark	
01	02	03	04	05	06	07	08	

क्रय समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर :

#

गुडर

Jimh

On the letter pad of Chartered Accountant

This is to certify that the total turnover in the case of M/s..... having PAN ..... is as under:

Financial Year/Period	Amount in Rupees (Figures)	Amount in Rupees (words)
2017-18		
2018-19		
2019-20		
<b>Total</b>		

Average= Total/3





